झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य/958/2016— .... /राँची, दिनांक ....

प्रेषक,

ई० मुक्तिसाधन चौरसिया,
सरकार के उप सचिव (अभि०)।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से औपचारिक रूप से परामर्शित

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०—हिनू, राँची।

द्वारा :— **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :— **मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर प्रक्षेत्राधीन पलामू जिलान्तर्गत मलय जलाशय योजना के ERM कार्य हेतु रू० 185.92 करोड़ (रू० एक सौ पचासी करोड़ बानवे लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश—स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर प्रक्षेत्राधीन पलामू जिला अंतर्गत मलय जलाशय योजना के ई०आर०एम० कार्य हेतु कुल रू० 185.92 करोड़ (रू० एक सौ पचासी करोड़ बानवे लाख) के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।।

3. ई०आर०एम० कार्य अन्तर्गत निम्नांकित कार्य कराये जायेगें :—

(i) मलय मुख्य नहर के कि०मी० 5.34 से 40.839 कि०मी० तक एवं लेस्लिगंज शाखा नहर के कि०मी० 0.00 से 30.506 कि०मी० तक पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य।

(ii) मलय जलाशय योजना के डैम का मरम्मति एवं इसके अन्तर्गत विभिन्न संरचनाऐं यथा रेगुलेटर, सी०डी० संरचना, आउटलेट एवं इनलेट तथा सेतु का निर्माण/मरम्मति कार्य।

(iii) योजना के वितरणियों का लाईनिंग कार्य एवं विभिन्न संरचनाओं का मरम्मति एवं निर्माण कार्य।

4. ई०आर०एम० कार्य के उपरान्त योजना का रूपांकित सिंचाई क्षमता पुर्नबहाल हो सकेगा तथा 7863 हे० क्षेत्र में खरीफ एवं 400 हे० क्षेत्र में रब्बी सिंचाई सुविधा प्रदान की जायेगी।

5. यह कार्य वर्ष 2016–17 में प्रारंभ कर अगले दो वर्षों में वर्ष 2018–19 तक करने का कार्यक्रम है।

6. इस योजना के असैनिक कार्यों का कार्यान्वयन जलपथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर द्वारा कराया जायेगा। असैनिक कार्यों हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर होंगे एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

7. इस योजना का यांत्रिक कार्य यांत्रिक प्रमण्डल, मंडल, लातेहार द्वारा कराया जायेगा। यांत्रिक कार्यों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक प्रमण्डल, मंडल, लातेहार होंगे एवं मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

8. इस योजना के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। निर्माण सामग्रियों के ढुलाई की दूरी (lead) सामग्री उपलब्धता के अनुसार न्यूनतम रखा जाय, जिसे अधीक्षण अभियंता जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे।

9. इस योजना पर होने वाला व्यय

मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य लघु शीर्ष –800–अन्य व्यय, उपशीर्ष–54–सिंचाई योजना का ई०आर०एम० विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।

10. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

11. कार्य के लिये राशि की निकासी पलामू कोषागार, पलामू से की जायेगी।

12. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

13. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

14. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

15. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
ह०/–

(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य/958/2016— .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना —सह— वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य/958/2016— .... **/राँची, दिनांक** ....

प्रतिलिपि :— कोषागार पदाधिकारी, पलामू कोषागार, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य/958/2016—88/16-17 पु० वि० **/राँची, दिनांक** 06.03.2017

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख—I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल—1, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, रूपांकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, मेदिनीनगर/कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर/ कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक प्रमण्डल, मंडल, लातेहार/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०—3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी—7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3/17

(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

06/03/17